विनियमित किया गया है । 1-10-1978 से सीमेंट का सार्वजनिक वितरण 11 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों में लागू किया गया है । 1-1-1979 से सीमेंट का सार्वजनिक वितरण 5 और राज्यों में लागू किए जाने की आशा है । अन्य राज्य इस मामले पर विचार कर रहे हैं । सीमेंट के सार्वजनिक वितरण में अपनाई गई प्रणाली हर राज्य में उनकी स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार अलग अलग है । फिर भी, अधिकांश योजनाओं की विद्यमान आवश्यक बातें ये हैं:— सीमेंट स्टाकिस्टों को कानूनी रूप से लाइसेंस देना, राज्य सरकार अथवा इसकी एजेंसियों द्वारा कुछ स्टाकिस्टों को सीधे नियुक्त करना, उपभोक्ताओं को सीमेंट की बिक्री के लिए परमिट प्रणाली लागू करना, सार्वजनिक वितरण के बारे में सलाह देने हेतु तथा योजना को स्वयंसेवी एजेंसियों का गठन करना तथा कदाचार को रोकने लिए प्रशासनिक-तंत्र को मजबूत बनाना ।

कुछ राज्यों में सीमेंट पूर्णतः परमिट पर बेचा जाता है तथा अन्य राज्यों में वह बिना परमिट के बेचा जाता है ।

सीमेंट नियंत्रण आदेश के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा सभी उपभोक्ता के लिए समान गंतव्य स्थान तक रेल भाड़ा मुक्त मूल्य निर्धारित किया गया है । जबकि आदेश की धारा 10 के अधीन उपबन्धों के अनुसार राज्य सरकारों, और संघ-शासित क्षेत्रों द्वारा बेचे जाने वाले सीमेंट का थोक और खुदरा बिक्री मूल्य निर्धारित किया जाता है । खुले सीमेंट का वर्तमान गंतव्य स्थान तक रेलभाड़ा मुक्त मूल्य (उत्पादन शुल्क तथा पैकिंग प्रभार को छोड़ कर) 293.26 रु० है । सीमेंट का खुदरा मूल्य प्रत्येक राज्य को अलग अलग होता है जो बिक्री कर स्थानीय कर तथा अन्य आकस्मिक प्रभारों आदि पर निर्भर करता है ।

(ग) चूंकि पारस्परिक पैकिंग काला समाज अर्थात् जूट की बोरियां छनन रोधी नहीं होती इसलिए इसके उठाने और रखने में बोरियों से सीमेंट निकल जाने से हानि की संभावना रहती है । भारतीय सीमेंट अनुसंधान संस्थान सीमेंट के छन जाने की वजह से होने वाली हानि से बचने लिए वैकल्पिक पैकिंग सामान के विकास की कोशिश कर रहा है ।

(घ) सीमेंट के परमिट जारी करने में इस प्रकार की हेराफेरी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत सीमेंट को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया गया है तथा असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए राज्य सरकारों को काफी अधिकार दिये गये हैं । राज्य सरकारों ने भी कई मामलों में सीमेंट के मुनासिब वितरण की देखरेख के लिए स्वयं सेवी एजेंसियां गठित की है । जिला अधिकारियों को सतर्क रहने तथा सीमेंट की कालाबाजारी जैसे कदाचारों को रोकने के लिए हिदायत दे दी गई है ।

(ङ) तथा (च). जनता को बेचने लिए व्यापारियों एवं स्टाकिस्टों को प्रत्येक तिमाही में सीमेंट जारी करने की मात्रा का निर्णय सीमेंट की उपलब्धता और सम्बन्धित क्षेत्र की आवश्यकता के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा किया जायेगा ।

Proposed Jute Factory at Sulur, Andhra Pradesh

3232. SHRI V. KISHORE CHANDRA S. DEO: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the letter of intent issued to the proposed Jute Factory at Saiur, in Srikakulam District of Andhra Pradesh for which the foundation stone was to have been laid by the Ex-Chief Minister of Andhra Pradesh was cancelled under instructions from the Central Government;

(b) if not, the reasons for its cancellation; and

(c) the details when this factory will start functioning?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MATI): (a) to (c). A letter of intent was issued in favour of Srikakulam District Girijan Jute Cooperative Processing Society Ltd. on 28-11-1972 for the establishment of a jute mill at Salur, Srikakulam District in the Cooperative Sector. In 1975, the Government of Andhra Pradesh intimated their decision to to implement the project in the joint sector. The State Government requested that the letter of intent, issued in favour of the Srikakulam Distrte Girijan Jute Cooperative Processing Society Ltd., may be transferred to a joint sector project of the Andhra Pradesh Industrial Development Corporation. The APIDC have entered into a joint sector project under the name and style of Andhra Pradesh Fibres Ltd. Accordingly, when the letter of intent issued to the aforesaid Cooperative Society lapsed, a fresh letter of intent was issued to Andhra Pradesh Fibres Ltd. on 31-5-76. This letter of intent has been recently converted into an Industrial Licence. According to the

latest report received from the Andhra Pradesh Fibres Ltd., the mill is likely to start production in June, 1980.

राजस्थान में सीमेंट की कमी

3233. **श्री मीठा लाल पटेल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश राज्यों में, विशेष कर राजस्थान में सीमेंट की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राजस्थान में सीमेंट की कमी को दूर करने के लिए कुछ अविलम्बनीय कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शारदा मुखर्जी) : (क) और (ख). राजस्थान में सीमेंट की कमी, कृषि, मकान निर्माण, उद्योग सिंचाई तथा बिजली आदि के क्षेत्र की गतिविधियों की बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप सीमेंट की मांग में मंजी से वृद्धि के कारण आई देशव्यापी कमी का एक भाग है।

(ग) और (घ) राजस्थान को 4.78 तिमाही में बाढ़ राहत कार्य केलिए 1,41,000 मी० टन के सामान्य आवंटन के अलावा 10,000 मी० टन सीमेंट की अतिरिक्त मात्रा का आवंटन किया जा चुका है। राजस्थान के साथ-साथ अन्य सभी राज्यों के सीमेंट आवंटन में देश में सीमेंट के उत्पादन को बढ़ा कर या अधिक मात्रा में सीमेंट आयात करके अतिरिक्त सीमेंट प्राप्त होने पर प्रगमी रूप से बढ़ोतरी की जाएगी। सीमेंट उद्योग में अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। राजस्थान में सीमेंट का उत्पादन करने के लिए स्वीकृत योजनाओं की एक सूची अनुबन्ध में दी गई है।

विवरण

राजस्थान में सीमेंट संयंत्रों के लिए औद्योगिक स्वीकृतियां

क्रम सं०	पार्टी का नाम	स्थापना स्थल	क्षमता लाख मी० टनों में	टिप्पणी
1	2	3	4	5
	1. बड़े सीमेंट संयंत्र			
	(ए) औद्योगिक लाइसेंस			
1	मै० ए० सी० सी० लि० बम्बई	लखेरी	3.66	उत्पादनरत
2	जयपुर उद्योग लि०	सवाई माधोपुर	10.00	—वही—
3	—वही—	ब्यावर	6.00	लाइसेंस प्रति सहतकर
4	जे० के० सैमैटिक्स लि०	निम्बाहेड़ा	3.00	उत्पादनरत
5	मै० दि हिन्दुस्तान शूगर मिल्स लि०	उदयपुर	2.00	—वही—
6	मै० बिरला सीमेंट वर्कस	चित्तौड़गढ़	4.00	—वही—
7	मै० मगलम सीमेंट लि०	मोडक	3.00	कार्य आरम्भ हो गया है
8	मै० जे० के० सिमैकिटक्स लि०	निम्बेहेड़ा (राजस्थान)	4.20 व्यय	पर्याप्त विस्तार चल रहा है।
	(बी) आशयपत्र			
1	श्री पी० के० कनोडिया	बनास जिला सिरोही	2.00	आशयपत्र व्ययगत हो गया है।
2	मै० हिन्दुस्तान शूगर लि०	बजाजनगर जिला उदयपुर	3.00(एल०ई०)	—वही—